भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2927
बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार

2927. श्री सौमित्र खान:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में घरेलू एवं विदेशी निवेशकों की भागीदारी से सौर ऊर्जा संयंत्रों के तीव्र विस्तार का संज्ञान लिया है, यदि हाँ, तो स्थापित तथा कार्यान्वयनाधीन कुल सौर क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दुर्गापुर, कोलकाता तथा बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, सरकारी भवनों, रेलवे, पत्तन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बड़े पैमाने पर जमीन पर स्थापित या रूफटॉप सौर परियोजनाएं स्वीकृत अथवा कार्यान्वित की गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आवासीय सोसायटियों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल, विशेषकर उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा सौर क्षमता विस्तार को तेज करने के लिए किसी प्रोत्साहन, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग) अथवा नीतिगत उपाय करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में सौर विद्युत परियोजनाओं में स्वदेशी अथवा विदेशी निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना संचालित नहीं की गई है। तथापि, रूफटॉप सौर (RTS) तथा विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE) परियोजनाओं का कार्यान्वयन लागू खरीद प्रक्रियाओं के अनुरूप पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग की पश्चिम बंगाल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण संवर्धन नीति, 2023, राज्य में निवेश आकर्षित करने का अवसर प्रदान करती है।

दिनांक 30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में स्थापित सौर विद्युत क्षमता 363.50 मेगावाट है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दुर्गापुर, कोलकाता तथा बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी बड़े स्तर की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है तथा न ही उसका कार्यान्वयन किया गया है।

तथापि, सरकारी सहायता प्राप्त/प्रायोजित विद्यालय भवनों तथा सरकारी भवनों पर बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें राज्य सरकार के 116 भवन (संचयी क्षमता: 4.01 मेगावाट), सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त 4251 विद्यालय (कुल क्षमता: 3.18 मेगावाट), 124 महाविद्यालय (कुल क्षमता: 2.30 मेगावाट) तथा 14 विश्वविद्यालय (कुल क्षमता: 2.04 मेगावाट) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) भी सभी पात्र आवासीय उपभोक्ताओं तथा आवासीय कल्याण संघों (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों - RWAs) के लिए उपलब्ध है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के अंतर्गत जागरूकता पैदा करके तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराकर पूरे राज्य में रूफटॉप सौर स्थापनाओं को बढ़ावा दे रही है। यह योजना पात्र आवासीय उपभोक्ताओं तथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) के लिए उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल सरकार के गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (NRES) विभाग ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के एक भाग के अंतर्गत मॉडल सौर ग्राम के कार्यान्वयन की भी पहल की है, जिससे नवीकरणीय विद्युत (RE) को अपनाने में और प्रोत्साहन मिलेगा तथा जन-जागरूकता में वृद्धि होगी।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
